न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्वसिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध संख्या 29/2016

प्रार्थीगणः–

1. श्री सुमेरसिंह पुत्र श्री राजूसिंह
2. श्री भगवतसिंह पुत्र श्री राजूसिंह
3. श्री मरूधरसिंह पुत्र श्री राजूसिंह
4. भगवतसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण साकदड़ा तहसील पाली (पाली)

बनाम अप्रार्थीः–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली जिला पाली (राजस्थान)
2. श्री जगवीरसिंह पुत्र श्री राजूसिंह जाति राजपूत निवासी साकदड़ा तहसील पाली

उपस्थितिः–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128, 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

–:निर्णयः– दिनांक – 27.08.2019

1. प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 के अकेले खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम साकदड़ा में खसरा नम्बर 6/3 रकबा 15 बीघा स्थित है। इसी तरह प्रार्थी संख्या 2 से 3 व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम साकदड़ा में खसरा नम्बर 6/20 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। इसी तरह प्रार्थी संख्या 4 के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम साकदड़ा में खसरा नम्बर 6/4 रकबा 15 बीघा स्थित है। प्रमाण में जमाबंदी की प्रति पेश है। सभी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करतेह समय जन बूझकर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 6/3 रकबा 15 बीघा के स्थान पर 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि की ही नक्शा ट्रेस में तरमीम की। इस तरफ 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि की तरमीम नक्शा ट्रेस में कम की गई। इसी तरह खसरा नम्बर 6/20 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि की ही तरमीम की। इस तरफ राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे से 15 बिस्वा भूमि की नक्शा ट्रेस में कम तरमीम की गई। इस प्रकार दोनों खसरों का राजस्व रेकर्ड अनुसार रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा है। इसी अनुरूप जमाबंदी में दर्ज है। राजस्व नक्शा ट्रेस में भी इसी अनुरूप रकबे की तरमीम की जानी थी। लेकिन राजस्व अधिकारी व कर्मचारियो की गलती व लापरवाही से दोनो खसरों की तरमीम करते समय 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि की तरमीम कम की गई अर्थात राजस्व नक्शा ट्रेस का नाप करते समय दोनों खसरों का नाप 20 बीघा 9 बिस्वा ही बनता है। इसी तरह प्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6/4 रकबा 15 बीघा है। जिसका नाप नक्शा ट्रेस में 17 बीघा 11 बिस्वा कर दिया। इस तरह खातेदारी रकबे से 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि की अधिक तरमीम कर दी जो पूर्णतया अवैध है। उपरोक्त अधिक तरमीम की गई भूमि की विधिनुसार तरमीम प्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि में करनी चाहिए थी। अर्थात वास्तव में उपरोक्त अधिक तरमीम की गई भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 3 के खातेदारी की है लेकिन गलत रूप से लापरवाहीपूर्वक राजस्व नक्शा ट्रेस में उपरोक्त अशुद्धिया रखी गई है। जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण एक ही परिवार और जाति के है इसलिए पूर्व में इस बाबत मे न तो कोई विवाद हुआ न ही कोई जानकारी हुई। हाल ही में प्रार्थी संख्या 1 ने अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

का राजस्व नक्शा ट्रेस का नाप करवाया तब खातेदारीशुदा रकबे से राजस्व नक्शा ट्रेस मे नाप कम दर्ज किया हुआ है। जिसकी जानकारी होने पर कम्प्युटर से वर्तमान तरमीमशुदा नक्शे का नाप करवाया तब खसरा नम्बर 6/3,6/4 व 6/20 के नक्शा ट्रेस मे गलत रूप में नापचौक दर्ज किए जाने बाबत जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी संख्या 1 ने अन्य प्रार्थीगण को सही स्थिति बताई और सभी ने मिलकर अप्रार्थी से शुद्धि करने हेतु निवेदन किया। लेकिन अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि इस सन्दर्भ में सक्षम न्यायालय मे ही चाराजोही कर नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करवाया जावें। उपरोक्त नक्शा ट्रेस में गलत दर्ज किये गये नापचौक का अवैध रूप से अड़ोसी पड़ोसी खातेदार नाजायज फायदा उठाना चाहते है और उपरोक्त खसरे में अधिक भूमि को पड़ोसी खातेदार अपनी होना बताकर बेवजह तंग हैरान परेशान कर रहे हैं जबकि वास्तव में प्रार्थी संख्या 4 के पास स्वयं के खातेदारीशुदा भूमि से अधिक भूमि की राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की गई है वह भूमि अन्य खसरा की नहीं होकर मूल खसरा नम्बर 6 की है। जिस बाबत दुरूस्ती किया जाना लाजमी एवं न्यायसंगत है। जिस हेतु आवेदन पेश किया जा रहा है। उपरोक्त सन्दर्भ में खसरा नम्बर 6/3,6/4,6/20 का नक्शा ट्रेस का नाप विधिनुसार सक्षम अधिकारी से करवाया जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब किया जाना उचित, लाजमी एवं न्याय संगत है। जिस हेतु भी प्रार्थीगण आवेदन कर रहे है। आवेदन स्वीकार फरमावें तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस मे त्रुटिपूर्ण अशुद्ध इन्द्राज को दुरुस्त किए जाकर खातेदारी रकबा अनुसार ही नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की तरमीम विधिनुसार किए जाने बाबत आदेश पारित फरमावें।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 22.11.2016 को अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया।

3. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, पाली ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–

1. ग्राम साकदड़ा के खसरा नम्बर 6/3,6/20 एवं 6/4 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार निम्नानुसार है–

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार
6/3	15.00	बा.सो.	सुमेरसिंह पुत्र राजूसिंह राजपूत सादेह
6/20	8.17	बा.दो.	सुमेरसिंह भगवतसिंह जगवीरसिंह मरूधरसिंह पुत्र राजूसिंह सादेह
6/4	15.00	बा.सो.	भगवतसिंह पुत्र किशोरसिंह कोम राजपूत सादेह

2. राजस्व नक्शा लट्ठा अनुसार खसरा नम्बर 6/3 का रकबा 12.00 बिघा खसरा नम्बर 6/20 का रकबा 7.02 बिघा एवं खसरा नम्बर 6/4 का रकबा 19.06 बिघा बनता है।

3. नक्शा लट्ठा में की गई तरमीम वास्तविक रकबा अनुसार नहीं है।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की सुनी गई। विद्वान प्रार्थी ने प्रार्थना मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि कृषि भूमि ग्राम साकदड़ा में खसरा नम्बर 6/3 रकबा 15 बीघा स्थित है। इसी तरह प्रार्थी संख्या 2 से 3 व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम साकदड़ा में खसरा नम्बर 6/20 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। इसी तरह प्रार्थी संख्या 4 के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम साकदड़ा में खसरा नम्बर 6/4 रकबा 15 बीघा स्थित है। प्रमाण में जमाबंदी की प्रति पेश है। सभी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करते समय जान बूझकर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 6/3 रकबा 15 बीघा के स्थान पर 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि की ही नक्शा ट्रेस में तरमीम की। इस तरफ 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि की तरमीम नक्शा ट्रेस में कम की गई। इसी तरह खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

6/20 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि की ही तरमीम की। इस तरफ राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे से 15 बिस्वा भूमि की नक्शा ट्रेस में कम तरमीम की गई। इस प्रकार दोनों खसरों का राजस्व रेकर्ड अनुसार रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा है।

इसी अनुरूप जमाबंदी में दर्ज है। राजस्व नक्शा ट्रेस में भी इसी अनुरूप रकबे की तरमीम की जानी थी। लेकिन राजस्व अधिकारी व कर्मचारियो की गलती व लापरवाही से दोनो खसरों की तरमीम करते समय 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि की तरमीम कम की गई अर्थात राजस्व नक्शा ट्रेस का नाप करते समय दोनों खसरों का नाप 20 बीघा 9 बिस्वा ही बनता है। इसी तरह प्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6/4 रकबा 15 बीघा है। जिसका नाप नक्शा ट्रेस में 17 बीघा 11 बिस्वा कर दिया। इस तरह खातेदारी रकबे से 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि की अधिक तरमीम कर दी जो पूर्णतया अवैध है। उपरोक्त अधिक तरमीम की गई भूमि की विधिनुसार तरमीम प्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि में करनी चाहिए थी। अर्थात वास्तव में उपरोक्त अधिक तरमीम की गई भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 3 के खातेदारी की है लेकिन गलत रूप से लापरवाहीपूर्वक राजस्व नक्शा ट्रेस में उपरोक्त अशुद्धिया रखी गई है। जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

बहस के द्वौरान सरकारी पैरोकार ने यह स्वीकार किया है कि राजस्व रेकर्डनुसार नक्शा तरमीम नहीं है तथा रेकर्ड को देखने पर यह सिद्ध होता है कि तीनों खसरा मे रकबा गलत अंकित हो गया है।

5. बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें वास्तव यह प्रतीत होता है कि राजस्व रेकर्डनुसार नक्शा तरमीम नहीं है तथा रेकर्ड को देखने पर यह सिद्ध होता है कि तीनों खसरा मे रकबा गलत अंकित हो गया है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 111, 128, 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार पाली की रिपोर्टनुसार राजस्व नक्शे को दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार पाली को पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner